तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दरवक्त बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा प्रा० पत्र अदला-बदली स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं पेशशुदा राजीनामा का भी अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारों द्वारा विवादित आराजी ख. नं. के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है जिससे विवादित आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रा० पत्र अदला-बदली स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-
	आदेश
	...तन ग्राम सेवा की ढाणी प० ह० नीमेड़ा ...सील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवाप्ति... भूमि ख० नं. 549 रकबा 0.56 है० सम्पूर्ण ...भूमि ख० नं. 562, 563, 564 किता-3 रकबा ...० में प्रार्थीगण के नाम दर्ज ½ हिस्सा में ...112 है० भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
नं. 1 ता 2 के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज की जाती है तथा उक्त ख. नं. 549 रकबा 0.56 है० सम्पूर्ण तथा ख. नं. 562, 563, 564 किता-3 रकबा 1.47 है० में प्रार्थीगण के नाम दर्ज ½ हिस्से में से 0.4112 है० से प्रार्थीगण की खातेदारी हजफ की जाती है। शेष खातेदारी यथावत रहेगी। इसी प्रकार भूमि ख. नं. 552, 553, 554, 555, 560, 595, 596, 597, 598, 601 किता-10 रकबा 7.77 है० में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 के नाम दर्ज ⅛ हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज की जाती है तथा उक्त ख. नं. 552, 553, 554, 555, 560, 595, 596, 597, 598, 601 किता-10 रकबा 7.77 है० में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 के नाम दर्ज ⅛ हिस्से से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/3/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
(हस्ताक्षर) 9/3/2021 (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	